न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 608/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सुनील कुमार पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. सन्तरो देवी पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. हरिराम पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. कैलाश देवी पत्नी सन्दीप कुमार पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी फर्वन तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरि.)
4. रामी देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी लखणी ढाणी सरकारी विद्यालय तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
5. रणजीत कुमार पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नायवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरियाप्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री प्रेमचन्द भारद्वाज एडवोकेट (वादी)
2. विनोद शर्मा एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 5)

निर्णय दिनांकः— 8.5.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की बहिने है व प्रतिवादी सं. 5 वादी का भाई है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 3 एमजेडी ज.सं. 2072—75 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 32/20 में कुल 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/3 हि. यानि 0.506 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 3,4 वादी की सगी बहिन एवं प्रतिवादी सं. 5 वादी का सगा भाई है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपनी चक 3 एमजेडी के खाता सं. 32/20 में 0.506 है. भूमि को वादी सुनील कुमार को स्वेच्छा से दे दी है। उक्त दी गई भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को किसी प्रकार उज्ज व ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 व 5 को बंटवारा मे दूसरे चक में हक व हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 4 की शादी हो गई है जिनकी शादी अच्छा दान दहेज देकर कर दी है। वे अपने परिवार में खुशहाल व सुखी है जो उपरोक्त भूमि में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। मुताबिक बंटवारा वादी उपरोक्त 0.506 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन बंटवारानुसार वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 और वादी के एक संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 6 को भूमि धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 6 से कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अलग अलग निवेदन किया पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे लेकिन बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार चक 3 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 जमाबन्दी सम्वत 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

32/20 में 0.506 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 3 एमजेडी खाता सं. 32/20 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व इसी चक 3 एमजेडी की परचा खतौनी प्रदर्श–2 करवाई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 3 एमजेडी खाता सं. 32/20 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 सन्तरो देवी पत्नी हरिराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 3 एमजेडी की परचा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादी की बहिने है व प्रतिवादी सं. 5 वादी का भाई है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 3 एमजेडी खाता सं. 32/20 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 608 / 2026

सुनील कुमार पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. सन्तरो देवी पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. हरिराम पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. कैलाश देवी पत्नी सन्दीप कुमार पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी फर्वन तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरि.)
4. रामी देवी पत्नी मनोज कुमार पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी लखणी ढाणी सरकारी विद्यालय तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
5. रणजीत कुमार पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नायवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ तहसीलदार (राजस्व) संगरियाप्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 5 श्री विनोद शर्मा एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 3 एमजेडी खाता सं. 32/20 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....8.4.2026....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया